



रबी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य: मार्केटिंग सीजन 2027-28

मूल्य आश्वासन, खरीद और किसानों की पहुंच का सुदृढीकरण

29 अक्टूबर, 2026

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसानों को मूल्य आश्वासन प्रदान करने और कृषि नियोजन एवं निवेश संबंधी सूचित निर्णय लेने में मदद करने का एक महत्वपूर्ण तंत्र है। 30 सितंबर 2026 को सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन (आरएमएस) 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी, जिसके अंतर्गत 324 लाख मीट्रिक टन (एमटी) उपज के लिए किसानों को अनुमानित ₹90,962 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। एमएसपी समर्थन के बढ़ते पैमाने का प्रतिबिंब बीते कुछ वर्ष में खरीद के रुझानों और भुगतानों में दिखाई देता है। छः रबी फसलों की खरीद 2004-05 से 2013-14 के दौरान 2,302 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से बढ़कर 2014-15 से 2025-26 के दौरान 3,921 एलएमटी हो गई। इसी के अनुरूप, एमएसपी भुगतान ₹2.65 लाख करोड़ से बढ़कर ₹8.36 लाख करोड़ हो गया। इस बीच, डिजिटल प्लेटफॉर्म खरीद और भुगतान प्रक्रियाओं की सुगमता और पारदर्शिता को बढ़ा रहे हैं। मूल्य आश्वासन, विस्तारित खरीद और प्रौद्योगिकी-सक्षम वितरण मिलकर किसानों की बाजारों तक पहुंच को मजबूत कर रहे हैं और कृषि संबंधी निर्णयों में अधिक भरोसे का समर्थन कर रहे हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य: मूल्य स्थिरता के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान करना

किसान की आर्थिक आय केवल कृषि उत्पादन से ही नहीं, बल्कि फसल की कीमत से भी निर्धारित होती है। महीनों की मेहनत, संसाधनों और निवेश को खेती में लगाने के बाद, आखिरकार बाजार मूल्य ही किसान

की आमदनी और कृषि कार्यों को जारी रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए, बाजार मूल्यों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से कृषि आय में काफी अनिश्चितता आ सकती है और भविष्य की खेती से संबंधित निर्णयों पर भी असर पड़ सकता है।

इस संदर्भ में, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसानों को सहायता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण नीतिगत साधन है। यह एक मूल्य आश्वासन तंत्र प्रदान करता है जिसके माध्यम से सरकार पूर्व निर्धारित कीमतों पर पात्र कृषि उत्पादों की खरीद करती है। एमएसपी किसानों को लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित करता है और साथ ही कृषि निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित करता है।

मूल्य आश्वासन प्रदान कर, एमएसपी किसानों को बाजार में होने वाले प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है। जब बाजार मूल्य कम होते हैं, तो एमएसपी पर खरीद योग्य उपज को घोषित मूल्य पर बेचने का एक अवसर प्रदान करती है। यह व्यवस्था कीमतों में अनिश्चितता को कम करने, कृषि आय की स्थिरता को बनाए रखने और आगामी कृषि मौसमों के लिए योजना बनाने में सहायक होती है। अपेक्षित प्रतिफल में विश्वास को मजबूत करके, एमएसपी किसानों को बेहतर बीजों, कृषि प्रौद्योगिकी और अन्य उत्पादकता बढ़ाने वाले इनपुट में निवेश करने के निर्णयों में भी योगदान देता है।

जब बेहतर खेती से सुनिश्चित लाभ मिलता है

कर्नाटक के बॉम्ब्राहल्ली गांव के **72-वर्षीय बाजरा किसान श्री के. चिक्कना** का अनुभव दिखाता है कि कैसे बेहतर कृषि पद्धतियां, संस्थागत सहयोग और मूल्य आश्वासन कृषि उत्पादकता और आय में बढ़ोतरी में योगदान दे सकते हैं।

श्री चिक्कना ने कई वर्षों तक पारंपरिक कृषि विधियों का उपयोग करके बाजरे की पारंपरिक किस्मों की खेती की। सिंचित परिस्थितियों में, उत्पादकता लगभग 9-11 क्विंटल प्रति एकड़ रही। रबी सीजन 2025 के दौरान एक बड़ा बदलाव आया, जब उन्होंने एडवांस एचआर-13 किस्म की बाजरा को अपनाया।



आईसीएआर-आईआईएमआर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान) ने कुसुमागिरी किसान उत्पादक संगठन, कुंदरूपी के माध्यम से यह किस्म उपलब्ध कराई।

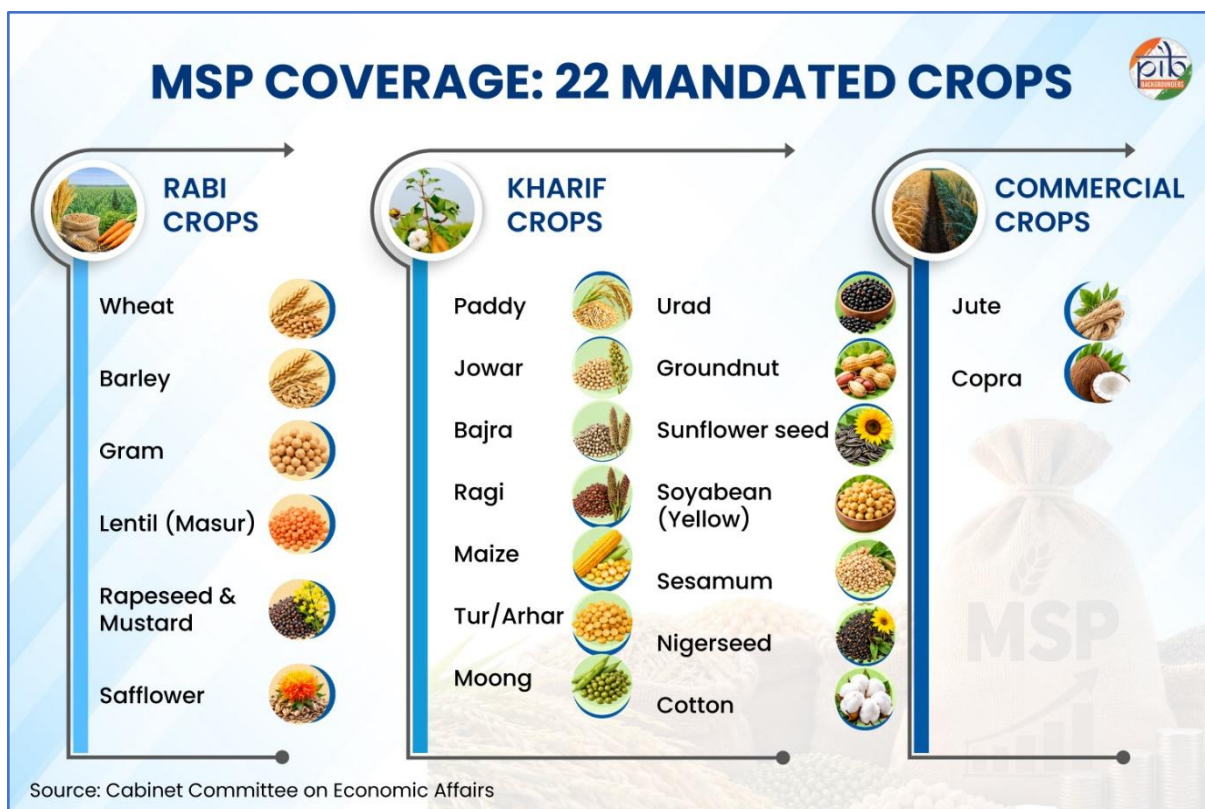
आईसीएआर-आईआईएमआर के वैज्ञानिकों के तकनीकी मार्गदर्शन से उन्होंने रोपाई, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों सहित एडवांस कृषि पद्धतियों को भी अपनाया। इन तरीकों से उनकी उत्पादकता बढ़कर 22-23 क्विंटल प्रति एकड़ हो गई, जो पहले की उपज से दोगुनी से भी अधिक है।

उत्पादकता में हुई बढ़ोतरी को किसान संगठन (एफपीओ) के माध्यम से ₹4,886 प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सुनिश्चित खरीद (2025-26 सीजन) से और भी बल मिला। इससे उन्हें अपनी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करने और अधिक लाभ कमाने में मदद मिली। इसके चलते, छः एकड़ भूमि से उनकी आय लगभग 2.07 लाख रुपये से बढ़कर ₹6.59 लाख हो गई।

श्री चिक्काना का अनुभव दर्शाता है कि उन्नत बीज किस्मों, वैज्ञानिक खेती पद्धतियों, तकनीकी मार्गदर्शन, किसान संगठनों और एमएसपी आधारित खरीद के संयोजन से कृषि उत्पादकता और आर्थिक लाभ को कैसे बढ़ाया जा सकता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे निर्धारित होते हैं

सरकार 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है। ये एमएसपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों पर आधारित होते हैं। इन सिफारिशों में संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों के विचारों को ध्यान में रखा जाता है। इसके साथ ही, तोरिया और छिलका रहित नारियल के लिए एमएसपी क्रमशः रेपसीड, सरसों और खोपरा के लिए घोषित एमएसपी के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।



विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करते समय सीएसपी कई कारकों पर विचार करता है। इनमें शामिल हैं:

- उत्पादन लागत
- घरेलू और वैश्विक बाजारों में फसलों की मांग और आपूर्ति
- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें
- फसलों के बीच कीमत में समानता
- कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें
- व्यापक अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति का संभावित प्रभाव, और
- उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत का मार्जिन

एमएसपी की गणना में इस्तेमाल किए गए उत्पादन लागत में किराए पर लिए गए मानव श्रम, बैल श्रम और मशीन श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, बीज, उर्वरक, खाद और सिंचाई पर किए गए खर्च शामिल हैं। इसमें पंप सेट चलाने के लिए प्रयुक्त डीजल और बिजली, कृषि उपकरणों और भवनों पर मूल्य को होने वाले नुकसान, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और अन्य विविध खर्च भी शामिल हैं। इसके साथ ही, कृषि गतिविधियों में लगे परिवार के सदस्यों के योगदान को मान्यता देने के लिए पारिवारिक श्रम का अनुमानित

मूल्य भी शामिल किया जाता है। एमएसपी की गणना के लिए सभी 22 अनिवार्य फसलों और सभी राज्यों में एक समान लागत-अनुमान सूत्र लागू किया जाता है।

रबी एमएसपी 2027-28: मूल्य समर्थन और फसल विविधीकरण

सरकार ने 30 सितंबर 2026 को मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी।

रबी मार्केटिंग सीजन 2027-28						
क्रम संख्या	फसल	एमएसपी 2027-28 (₹/क्विंटल)	उत्पादन की लागत 2027-28 (₹/क्विंटल)	लागत पर मार्जिन (%)	एमएसपी 2026-27 (₹/क्विंटल)	एमएसपी में बढ़ोतरी (निश्चित)
1	गेहूं	2,610	1,264	106	2,585	25
2	जौ	2,286	1,447	58	2,150	136
3	चना	5,958	3,751	59	5,875	83
4	मसूर दाल	7,390	3,854	92	7,000	390
5	सरसों और सरसों	6,613	3,367	96	6,200	413
6	कुसुम	7,215	4,810	50	6,540	675

कुसुम के लिए एमएसपी में सबसे अधिक बढ़ोतरी 675 रुपये प्रति क्विंटल घोषित की गई है। इसके बाद सरसों और रेपसीड के लिए 413 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर दाल के लिए 390 रुपये प्रति क्विंटल और जौ के लिए 136 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं और चना के एमएसपी में भी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी की गई है।

उत्पादन लागत पर लाभ के मामले में, गेहूं का अनुमानित लाभ मार्जिन सबसे अधिक 106% है, इसके बाद सरसों और रेपसीड का 96%, मसूर दाल का 92% और चना का 59% है। रबी मार्केटिंग सीजन (आरएमएस) 2027-28 के दौरान, **324 लाख मीट्रिक टन (एमटी)** उपज के लिए किसानों को लगभग **90,962 करोड़ रुपये** का भुगतान किए जाने का अनुमान है। रबी फसलों के लिए बढ़े हुए एमएसपी का उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है।

सुलभ और पारदर्शी एमएसपी खरीद सुनिश्चित करना

खरीद प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं, जिससे किसानों को एमएसपी का लाभ सीधे, पारदर्शी और आसानी से मिल सके। अनाज और मोटे अनाज के लिए, सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और नामित राज्य एजेंसियों के माध्यम से खरीद करती है। इससे किसानों को घोषित एमएसपी पर मूल्य समर्थन मिलता है।

दालों, तिलहनों और खोपरा की खरीद प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की **मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस)** के तहत की जाती है। जब बाजार में प्रचलित कीमतें घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिर जाती हैं, तो राज्य सरकारें खरीद का अनुरोध कर सकती हैं। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (**एनएएफईडी**) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (**एनसीसीएफ**) इस योजना के तहत खरीद करने के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसियां हैं। घरेलू दाल उत्पादन को प्रोत्साहन देने और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए, दालों में **आत्मनिर्भरता मिशन** के तहत 2030-31 तक पूर्व-पंजीकृत किसानों से केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से तुअर, उड़द और मसूर की खरीद की जाती है।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)

सितंबर 2018 में शुरू की गई यह योजना किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करती है। इसका एक प्रमुख घटक **मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस)** है। यह योजना तब सक्रिय होती है जब अधिसूचित दालों, तिलहनों और खोपरा के बाजार मूल्य कटाई के चरम समय में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिर जाते हैं। उचित औसत गुणवत्ता (**एफएक्यू**) मानकों को पूरा करने वाली पात्र उपज को **वैध भूमि अभिलेख रखने वाले पूर्व-पंजीकृत किसानों** से **एनएएफईडी** और **एनसीसीएफ** के माध्यम से सीधे खरीदा जाता है। इससे बिचौलियों का उन्मूलन होता है और किसानों को मजबूरी में उत्पाद बेचने से बचाया जा सकता है।

किसानों की क्रय सुविधाओं तक पहुंच में सुधार लाने के लिए, पर्याप्त संख्या में क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकारें और क्रय एजेंसियां योग्य उपज के लिए क्रय कार्यक्रम, केंद्रों के स्थान और उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) विनिर्देशों का प्रचार-प्रसार करती हैं।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रय प्रक्रिया को भी मजबूत किया गया है। मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत, एनएएफईडी का ई-समृद्धि और एनसीसीएफ का ई-संयुक्त प्लेटफॉर्म, किसान पंजीकरण, उपज क्रय और भुगतान सहित क्रय प्रक्रिया के प्रमुख चरणों को सुगम बनाते हैं। किसान आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड, बैंक खाता जानकारी और फसल संबंधी विवरण जैसी जानकारी प्रदान करके पंजीकरण करते हैं। पंजीकृत किसान अपने निकटतम क्रय केंद्र का चयन कर सकते हैं, जिसके बाद पोर्टल उनकी यात्रा के लिए एक निश्चित तारीख निर्धारित करता है। किसानों के बैंक खातों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का सीधा हस्तांतरण मानवीय हस्तक्षेप, बिचौलियों पर निर्भरता और भुगतान में देरी को कम करने में सहायक होता है।

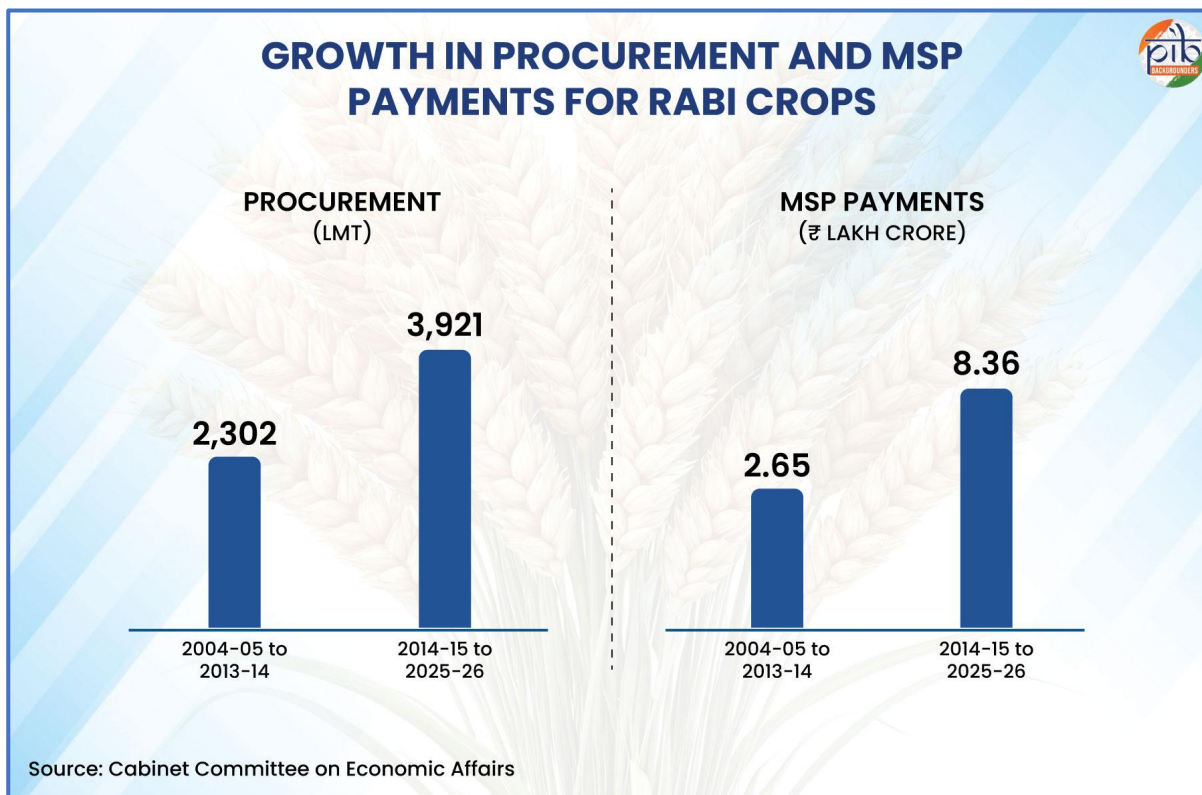
19 अक्टूबर 2026 तक, ई-संयुक्त प्लेटफॉर्म ने 43 लाख से अधिक किसानों की खरीद में सहायता की है, जिसमें 37.45 लाख मीट्रिक टन से अधिक उपज की खरीद की गई है और किसानों के खातों में ₹13,000 करोड़ से अधिक की राशि जमा की गई है। वहीं, ई-समृद्धि में 1.37 करोड़ से अधिक पंजीकृत किसान, 2.25 करोड़ से अधिक उपज इकाइयों की खरीद और किसानों को 81 लाख से अधिक भुगतान दर्ज किए गए हैं।

पारदर्शिता और लाभार्थी सत्यापन को और मजबूत करते हुए, पीएसएस के तहत 2025-26 सत्र से किसानों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। आधार प्रमाणीकरण योग्य प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों या चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से खरीद से पहले किया जाता है। यह उपाय किसान की पहचान सत्यापित करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि खरीद का लाभ वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे।

किसानों को खरीद और एमएसपी भुगतान का बढ़ता दायरा

कृषि खरीद को सहयोग देने में एमएसपी की भूमिका बीते कुछ वर्ष में खरीद की मात्रा और किसानों को किए गए भुगतान दोनों में हुई उल्लेखनीय बढ़ोतरी से स्पष्ट होती है। 2014-15 से 2025-26 के दौरान गेहूं की कुल खरीद 3,715 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) रही, जबकि 2004-05 से 2013-14 के दौरान यह 2,254 लाख मीट्रिक टन थी। इसी प्रकार, छः रबी फसलों की खरीद भी इसी अवधि में 2,302 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 3,921 लाख मीट्रिक टन हो गई।

खरीद में इस बढ़ोतरी के साथ-साथ किसानों को किए गए एमएसपी भुगतान में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 से 2025-26 के बीच गेहूं किसानों को **₹7.31 लाख करोड़** का भुगतान किया गया, जबकि 2004-05 से 2013-14 के दौरान यह **₹2.56 लाख करोड़** था। छः रबी फसलों के लिए संचयी एमएसपी भुगतान बढ़कर **₹8.36 लाख करोड़** हो गया, जो पिछली अवधि के दौरान **₹2.65 लाख करोड़** था।



रबी मार्केटिंग सीजन (आरएमएस) 2026-27 में गेहूं की खरीद **357.57 लाख मीट्रिक टन** रही, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) **₹92,432.51 करोड़** था, जिससे **34 लाख से अधिक** किसानों को लाभ हुआ। ये आंकड़े सरकारी खरीद के पैमाने और एमएसपी के माध्यम से किसानों को दी गई वित्तीय मदद को दर्शाते हैं।

किसानों को सहयोग, खेती का सशक्तिकरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव से किसानों को बचाने और कृषि नियोजन और निवेश में अधिक आश्वासन प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत साधन बना हुआ है। **रबी मार्केटिंग सीजन (आरएमएस) 2027-28** के लिए एमएसपी निर्णयों में उत्पादन लागत पर **न्यूनतम 50 प्रतिशत का मार्जिन** निर्धारित किया गया है।

खरीद की मात्रा और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भुगतान में निरंतर बढ़ोतरी किसानों को सरकार की ओर से दिए जा रहे व्यापक सहयोग को दर्शाती है। वहीं, डिजिटल पंजीकरण, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और सीधे बैंक हस्तांतरण से खरीद प्रक्रियाओं की सुगमता और पारदर्शिता में सुधार हो रहा है। कुल मिलाकर, ये उपाय मूल्य आश्वासन, बाजार पहुंच और लाभकारी प्रतिफल के बीच संबंध को मजबूत करते हैं, किसानों की आय की संभावनाओं को सहयोग देते हैं और कृषि क्षेत्र को अधिक सुदृढ़ बनाने में योगदान देते हैं।

संदर्भ

आर्थिक कार्यों पर मंत्रिमंडल समिति

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2316941&reg=48&lang=1>

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1777683&reg=48&lang=2>

https://www.icar.gov.in/hi/node/24721?utm_

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2317665&reg=48&lang=2>

https://sansad.in/getFile/lsapps/loksabhaquestions/annex/187/AS450_OAibYg.pdf?source=lsapps

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2246181&reg=1&lang=1>

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2155528&lang=2&reg=48&utm_

<https://icar.org.in/en/dr-ml-jat-honours-progressive-millet-farmer-shri-k-chikkana-icar-iimr-hyderabad>

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

https://sansad.in/getFile/annex/271/AU2614_KTzaci.pdf?source=pqars

<https://esamyukti.in/#about>

सहकारिता मंत्रालय

<https://esamridhi.in/#/>

पीआईबी बैकग्राउंडर्स

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2177219&reg=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NotelId=159674&ModuleId=3&reg=3&lang=1>

पीआईबी शोध

पीके/केसी/आरटी/एमएम